

ई.पी.एम.

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.14(7)खान/ग्रुप-2/1986-पार्ट जयपुर दिनांक: 7 JUL 2017

निदेशक,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर ।


विषय: वन भूमि में अनारक्षित क्षेत्र व अरावली में आने वाले खनन पट्टों में एमएमसीआर, 2017 के नियम 9(3) के अन्तर्गत खनन पट्टा अवधि वृद्धि के क्रम में।

संदर्भ: आपका पत्रांक निदे/अनिखा/वन-अवधि वृद्धि/ऋषभदेव/2017/578 दिनांक 03.04.2017 एवं अनिखा/वन/अवधि-समस्पर्शी/ऋषभदेव/2017/696 दिनांक 13.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्रों के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में खनन पट्टाधारियों को निर्देशित किया जावे कि वे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि का वन डायवर्जन वन विभाग से करा प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अधीनस्थ कार्यालयों से वन डायवर्जन के प्राप्त प्रकरणों को अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में निदेशालय स्तर से वन विभाग को अग्रेषित कर दिया जावे।

भवदीय,



(कमल किशोर मंगल)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर (राज.)


क्रमांक : निदे/अनिखा/पर्या/ वन-अवधिवृद्धि/ऋषभदेव/2017/877-938

दिनांक - 7.07.2017

प्रतिलिपि :- निम्न को भेजकर लेख है कि उपरोक्त शासन निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करावे।

1. अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/ जयपुर/ जोधपुर/ कोटा/
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर/ जोधपुर/ भीलवाड़ा/ बीकानेर/ कोटा/ भरतपुर/ अजमेर/ राजसमंद/ उदयपुर
3. खनि अभियन्ता, जयपुर/ अलवर/ झुंझनू/ सीकर/ अजमेर/ ब्यावर / मकराना/ नागौर/ भरतपुर/ करौली/ धौलपुर/ कोटा/ रामगंजमंडी/ बूंदी-1/ 11/ आमेट/ राजसमन्द-1/ 11/ भीलवाड़ा/ बिजोलिया/ चित्तौडगढ़/ उदयपुर/ डूंगरपुर / बाँसवाड़ा / प्रतापगढ़/ सोजत सिटी/ जालौर/ बाडमेर/ जोधपुर/ सिरोही/ बीकानेर / श्रीगंगानगर/ जैसलमेर/
- 4- सहायक खनि अभियन्ता, सावर/ गोटन/ टोंक/ कोटपुतली/ नीमकाथाना/ बालेसर/ निम्बाहेड़ा/ दौसा/ बारां/ झालावाड़/ रूपवास/ सवाईमाधोपुर/ चुरू/ हनुमानगढ़/ सलुम्बर/ ऋषभदेव

DMGoms Ruphadev



(ए.एल.शेख)
अतिरिक्त निदेशक खान
(पर्यावरण एवं विकास)